संख्या 61/2015/1359/सत्रह-म2015,6-9(267)/2014

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 03 सितम्बर2015

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 सलाहकार मत्स्य विभाग को मानदेय एवं भत्तों के भुगतान के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 40 / ले0शा0/ वित्तीय स्वीकृति / 2015-16 दिनांक 20-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 सलाहकार मत्स्य विभाग को मानदेय एवं भत्तों के भुगतान हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रू0 9.59लाख (रू0 नौ लाख उन्सठ हजार मात्र) का प्राविधान कराया गया है। अत: वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 सलाहकार मत्स्य विभाग के मानदेय एवं भत्तों के भुगतान हेतु रू0 9.59लाख (रू0 नौ लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है ।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-17 लेखशीर्षक- 2405 मछली पालन - आयोजनेत्तर, 800- अन्य व्यय, 03 –अनुसंधान सामान्य, 04- यात्रा व्यय, 07- मानदेय 08- कार्यालय व्यय 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 13- टेलीफोन पर व्यय, 42- अन्य व्यय 49- चिकित्सा व्यय
के नामें डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(2)

संख्या 61/2015/1359 (1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ ।

5 - वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।